



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1872]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ 13, 1939

No. 1872]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939

vYil d; d dk; leky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2017

dk-vk- 2104/v½—केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 44) के तहत यथासंशोधित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धाराओं 3(2), 4(1) तथा 4(4) के साथ पठित धारा 3 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री जॉर्ज कुरियन, जो इस समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य हैं, को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

[सं. 1-19/2015-एनसीएम(पार्ट)]

के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2017

**S.O. 2104(E).**—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 read with Sections 3(2), 4(1) and 4(4) of the National Commission for Minorities (NCM) Act, 1992 (19 of 1992) as amended vide the NCM (Amendment) Act 1995 (44 of 1995), the Central Government hereby nominates Shri George Kurian, presently holding the post of Member in NCM as Vice Chairperson of the said Commission for a period of three years from the date of assumption of office.

[No. 1-19/2015-NCM (Pt.)]

K. C. SAMRIA, Jt. Secy.